कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः— 72 / FP/UK/ROAD/11032/2015 देहरादूनःदिनॉक 07 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय— जनपद—बागेश्वर के अन्तर्गत पालड़ीछीना मल्ली ढाना—नैनी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.6584 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—आपकी पत्र संख्या—5050 / 12—1(2) दिनांक 10—05—2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :—

1. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044 / 1—42(III) दिनांक 22—02—2022 एवं शासन के पत्रांक 290 / X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों / सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों / सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या 72 / FP/UK/ROAD/11032/2015 तद्दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :—प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करांने का कष्ट करें।
2. **प्रतिलिपि** :—अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक